सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 कार्तिक 8, गुरुवार, शाके 1947–अक्टूबर 30, 2025 अंक 31
Vol. 77 Kartika 8 , Thursday, Saka 1947–October 30, 2025 No. 31

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

(नियम राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एफ 1/12/ एफ डी ई.आर.187, दिनांक 10–04–57 की अनुपालना में)

इस बन्ध पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता खींवराज कापडी (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व खींवराज कापडिया (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो सहायक लेखा अधिकारी प्रथम (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में पंचायत समिति मेड़ता (नागौर) (स्थान जहा राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था एतद्द्वाराः–

1. स्वयं तथा मेरे पति/मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम खींवराज कापडिया उपनाम .....(सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम खींवराज कापडी तथा उपनाम ..... ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं मेरे पति/ मेरे पत्नी बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम ..... (केवल) से न जाने तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम .....द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चत की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद् पश्चात् सभी समय निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम खींवराज कापडिया तथा उपनाम ..... (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में खींवराज कापडी नाम के रूप में तथा..... उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद् पश्चात् तथा सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे मेरी पत्नी/पति, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम खींवराज कापडी उपनाम सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम खीवराज कापडिया तथा खींवराज कापडी का वर्णन किया हैं तथा दिनांक 01–09–2025 को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम खींवराज कापडी द्वारा जो पूर्व में खींवराज कापडिया कहलाता था हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी

1. जयप्रकाश, AAO-II प.स. मेडता
2. राकेश शर्मा, कनिष्ठ सहायक, प.स. मेडता

हस्ताक्षर

(नया नाम):– खींवराज कापडी

(पुराना नाम):– खींवराज कपाडिया

प्रतिहस्ताक्षर

ब्रिजेश किशोर शर्मा

विकास अधिकारी

पंचायत समिति मेडता।

D.D.O. CODE- 103770

17647

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।